रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94

REGISTERED NO. DL—33001/94

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2, 1994 (चैत्र 12, 1916)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2, 1994 (CHAITRA 12, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	303
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	301
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	561
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	299
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	309
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2121
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	51
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

1—1 GI/94

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	303
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	301
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	561
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	299
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	309
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2121
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	51
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 1994

संकल्प

सं० फा० ई-11011/2/92-हिन्दी-4—राजस्व एवं व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित इस विभाग के तारीख 5 जनवरी, 1994 के संकल्प सं० ई-11011/2/92-हि०-4 के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

(1) विद्यमान प्रविष्टि सं० 27 पर अपर सचिव (प्रशा०) राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, "सदस्य-सचिव" के स्थान पर प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद, एम्स बाई 68 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को "सदस्य" के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

(2) अपर सचिव (प्रशा०) राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली "सदस्य-सचिव" के रूप में ही क्रमांक 28 पर आएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

महाराज कृष्ण राव,
अपर सचिव (प्रशासन)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1994

संकल्प

सं० 6/1/79-पीपी—राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थापना के संबंध में पूर्व सिंचाई मंत्रालय के दिनांक 10 मार्च, 1983 के संकल्प सं० 6/1/79-पीपी तथा दिनांक 14 अक्तूबर, 1985, 29 अक्तूबर 1985, 21 जनवरी, 1987 एवं 12 जून, 1987 के समसंख्यक संशोधनों में निम्नलिखित और संशोधन किए जाते हैं :—

संकल्प के पैरा 3 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की रचना निम्नवत् होगी :—

1. प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री	उपाध्यक्ष
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य
4. केन्द्रीय कृषि मंत्री	सदस्य
5. केन्द्रीय विद्युत मंत्री	सदस्य
6. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	सदस्य
7. केन्द्रीय कल्याण मंत्री	सदस्य
8. उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
9. केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	सदस्य
10. केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री	सदस्य
11. केन्द्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री	सदस्य
12. केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री	सदस्य
13. केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री	सदस्य
14. मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
15. मुख्य मंत्री, अरूणाचल प्रदेश	सदस्य
16. मुख्य मंत्री, असम	सदस्य
17. मुख्य मंत्री, बिहार	सदस्य
18. मुख्य मंत्री, दिल्ली	सदस्य
19. मुख्य मंत्री, गोआ	सदस्य
20. मुख्य मंत्री, गुजरात	सदस्य
21. मुख्य मंत्री, हरियाणा	सदस्य
22. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
23. मुख्य मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर	सदस्य
24. मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
25. मुख्य मंत्री, केरल	सदस्य
26. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
27. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य

28.	मुख्य मंत्री, मणिपुर	सदस्य
29.	मुख्य मंत्री, मेघालय	सदस्य
30.	मुख्य मंत्री, मिजोरम	सदस्य
31.	मुख्य मंत्री, नागालैंड	सदस्य
32.	मुख्य मंत्री, उड़ीसा	सदस्य
33.	मुख्य मंत्री, पांडिचेरी	सदस्य
34.	मुख्य मंत्री, पंजाब	सदस्य
35.	मुख्य मंत्री, राजस्थान	सदस्य
36.	मुख्य मंत्री, सिक्किम	सदस्य
37.	मुख्य मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य
38.	मुख्य मंत्री, त्रिपुरा	सदस्य
39.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
40.	मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
41.	उप राज्यपाल, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	सदस्य
42.	प्रशासक, चण्डीगढ़	सदस्य
43.	प्रशासक, दादरा एवं नागर हवेली	सदस्य
44.	प्रशासक, दमन एव दीव	सदस्य
45.	प्रशासक, लक्षद्वीप	सदस्य

जल संसाधन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के सचिव होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति के निजी व सैनिक सचिवो, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों को जानकारी के लिए भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे सामान्य जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करें ।

एम० एम० रेड्डी
सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक, और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1994

लिपिको की भर्ती, 1994 के नियम

सं० 9/2/94—के० से०- II—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1994 मे निम्नलिखित सेवाओं/पदो (तथा उन अन्य सेवाओं, पदों के लिए, जो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में सम्मिलित किए जाएगे) में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए की जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है :—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड—6
(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा ग्रेड—2
(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड
(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड
(5) राष्ट्रपति सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिक के पद
(6) संसदीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में अवरश्रेणी लिपिक के पद

उपरोक्त सेवाओं/पदों के लिए अधिमान, आयोग द्वारा केवल उन्ही उम्मीदवारो से आमंत्रित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद टकण परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने के पात्र होंगे ।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो, अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियो (केवल बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के लिए आरक्षण किया जाएगा ।

3. (क) "भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय सघ के नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना मे लड़ाकू अथवा गैर-लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो अथवा

(ख) जिसे ऐसी सेवा से, जो सैनिक सेवा से हुई क्षति के कारण या उसके नियंत्रण बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा उसे चिकित्सीय या अन्य अक्षमता पेंशन दी गयी हो ।

(ग) जिसे कर्मचारियों की कटौती के परिणामस्वरूप उसे सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर निर्मुक्त किया गया हो, अथवा

(घ) जो आबंध की विशिष्ट अवधि को पूरी करने के बाद अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण के बिना सेवा से बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा-उपदान (ग्रेच्युटी) दी गई हो, इसमें प्रादेशिक सेना को निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल है :—

(1) निरंतर मूर्त सेवा के पेंशनधारी,
(2) सैनिक सेवा के दौरान हुई अक्षमता वाले व्यक्ति तथा
(3) वीरता पुरस्कार विजेता ।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति से तात्पर्य निम्न संविधान आदेशों में उल्लिखित किसी भी जाति/कबीले से हो ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (सूचियां) संशोधन आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातिया आदेश, 1970, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथा संशोधित।

(ग) अन्य पिछड़े वर्ग : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के का० ज्ञा० सं० 36012/22/93-स्थापना (एस० सी० टी०) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 द्वारा जारी किए गए भारत सरकार के आदेशानुसार उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजन के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के पहले चरण मे वही जातियां और समुदाय शामिल होंगे जो मंडल आयोग के रिपोर्ट तथा राज्य सरकार की सूची में समान रूप से दिए गए हैं ।

उपर्युक्त अन्य पिछड़े वर्गों की सूची कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं० 12011/68/93-बी० सी० सी० (सी) दिनांक 10-9-1993 द्वारा 13-9-1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है । अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी जाति से संबंधित होना चाहिए और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का० ज्ञा० सं० 36012/22/93- स्था० (एस० सी० टी०) दिनांक 8-9-1993 मे यथा उल्लिखित क्रीमलेयर में भी शामिल नहीं होना चाहिए ।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों में किसी से भी संबद्ध व्यक्ति से है :—

(क) बहरे :— बहरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जिनको जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो, उच्च स्वर में बोलने पर भी वे न तो बिल्कुल सुन सकते हों और न ध्वनि को समझ सकते हों। इस वर्ग में ऐसे मामले भी शामिल हैं जो ठीक कान (संभीर रूप से असमर्थ) 90 डेसीबल से अधिक नहीं सुन सकते हों अथवा दोनों कानों से पूर्ण रूप मे नहीं सुन सकते हों।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग :— शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति जिन्हें कम से कम 40 प्रतिशत शारीरिक दोष अथवा अंग विकृति हो, जिसमें हड्डी पेशियों तथा जोड़ों के सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा पैदा होती हो ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट–1 में विहित विधि से किया जाएगा। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीका देशों केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गण राज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका व जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से आया हो ।

(1) परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर की श्रेणी (ख), (ग) तथा (घ) मे संबंधित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड–6 में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है । जब उसे वह मंत्रालय/विभाग आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे जो उस पद से संबद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना हो ।

5. (क) इस परीक्षा मे बैठने के लिए जरूरी है कि पहली अगस्त, 1994 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरी 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1969 से पहले और पहली अगस्त, 1976 के बाद न हुआ हो ।

टिप्पणी —उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि आवेदन पत्र भेजने की तिथि को केवल मैट्रिक/सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र या इसके तुल्य प्रमाण पत्र में रिकार्ड की गई जन्म तिथि आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी और उसके बाद इसमें किसी परिवर्तन पर विचार किया जाएगा या स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो उक्त पैरा 3(क) में दी गई निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी, किन्तु यह परिणामी आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे ।

टिप्पणी (1) : ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा में छूट है जिन्होंने भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाला लाभ उठाने के उपरान्त सिविल में सरकारी नौकरी में पहले से ही प्रवेश कर लिया है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण और शुल्क के लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पणी (2) : उपरोक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी को सशस्त्र सेना में आवाह्न पर सेवा (काल अप सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी ।

टिप्पणी (3) : आरक्षण की सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो तथा, अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्राप्त हकदारी को साबित करने की स्थिति में होगा कि वह अन्तिम तारीख से (अर्थात् 2-5-94) अपने कार्य को पूरा होने की एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा। इस संबंध में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र/वचनबद्धता का प्रपत्र [कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का० ज्ञा० सं० 36034/2/91-स्था० (एस० सी० टी०) दिनांक 3-4-91 के पैरा 2 के अनुसार] आयोग द्वारा परीक्षा की विस्तृत विज्ञप्ति के आवेदन प्रपत्र के साथ दिया जायेगा ।

(ग) इन सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(2) ऐसे उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 8 वर्ष तक) जो वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल के हों और जिन्होंने 15 मई, 1990 के बाद परन्तु 22 नवम्बर, 1991 से पहले कुवैत तथा ईराक से भारत में प्रव्रजन किया हो ।

(3) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही और शांतिकाल दोनों के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8 वर्ष तक) ।

(4) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष (अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उन उम्मीदवारों के लिए जो शारिरिक रूप से विकलांग भी हैं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को मिलने वालाली 10 वर्ष की आयु छूट उन्हें खंड (1) में अंतर्गत मिलने वाली आयु छूट के अतिरिक्त होगी) ।

(5) ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक) ।

(6) भूटान के चुखा जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण के सीधी भर्ती किए गए ऐसे कर्मचारियों को जिनकी छटनी के गयी है, को ऊपरी आयु सीमा में उनके द्वारा प्राधिकरण में की गई सेवा की अवधि के बराबर छूट दी जाएगी । (छटनी किए गए कर्मचारी की नियमित सेवा की अवधि का निर्णय, चुखा जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा) ।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 40 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में लिपिकों/सहायक संकलकों/भण्डार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1-8-94 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और वे उसी रूप में कार्य करते रहेंगे ।

(ङ) ऊपरी आयु सीमा में सैनिक लिपिकों को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी

कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में हैं अर्थात् जो सेना से 2 अगस्त, 1994 से पहली अगस्त, 1995 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अंतर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अंतर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए हो जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

(च) उन टेलीफोन आपरेटरों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी, जो दिनांक पहली अगस्त, 1993 को विदेश मंत्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत् जारी है ।

(छ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4-7-1985 के का० ज्ञा० सं० 22011/15/81-स्था० (ख) के अनुसार उन स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए 35-35 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है जो अवर श्रेणी लिपिकों के पद पर नियुक्त के लिए शैक्षिक रूप से अर्हता रखते हों और जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो ।

टिप्पणी (1) : डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक-छटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5 (घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई मानी जाएगी।

टिप्पणी (2) : यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5 (घ), नियम 5 (च) और नियम 5 (छ) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्याग-पत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छटनी हो जाए तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी (3) : कोई लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स कैडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त हो तो वह परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

टिप्पणी (4) : विदेश मंत्रालय में काम कर रहे स्थायी अथवा अस्थायी टेलीफोन आपरेटर इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे परन्तु किसी टेलीफोन आपरेटर को परीक्षा पास करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे ।

विदेश मंत्रालय के वे टेलीफोन आपरेटर जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्त पर हों वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्य प्रकार से पात्र हों। यह उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो किसी अन्य संवर्ग पद स्थानांतरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उस समय टेलीफोन आपरेटर के पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है ।

टिप्पणी (5) : जहां तक इस नियम की उक्त श्रेणी (च) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यह परीक्षा अर्हक होगी, प्रतियोगितात्मक नहीं। उनको टंकण परीक्षा में नहीं बैठना होगा जो इस परीक्षा का एक भाग है । उन्होंने पहले टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी तो उन्हें इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवर्ती टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी । यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे ।

आयोग द्वारा अनुशासित टेलीफोन आपरेटर केवल भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 में लिए जाएंगे ।

ऊपर बताई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों तथा पुत्रियों तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को आयु में कोई रियायत देय नहीं है ।

6. शैक्षिक योग्यता :—अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षिक बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष या इससे उच्चतर परीक्षा 1-8-94 को पास होना चाहिए।

टिप्पणी (1) : ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी मैट्रिक या इसके तुल्य परीक्षा में बैठना है या जिनका परिणाम 1-8-1994 को या इसके पहले तक रोक लिया गया है या घोषित नहीं हुआ वे इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पणी (2) : कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त हो जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है ।

7. (1) जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह अनुबंध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या;

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा ।

बशर्ते केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार्य है । तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दें ।

8. सरकारी सेवा के सभी उम्मीदवार चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी हों या कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में हों परन्तु आकस्मिक या दैनिक दिहाड़ी दर पर कर्मचारी नहीं या सरकारी उपक्रमों के अधीन कर्मचारी "ख" सभी को यह वचनबद्धता देनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष को लिखित में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग में उनके नियोक्ता द्वारा उम्मीदवार के परीक्षा में आवेदन भेजने की मनाही के लिए सूचना मिल जाती है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

टिप्पणी : — विभागीय अभ्यर्थी अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को सूचित करके आयोग को सीधा आवेदन भेज सकते हैं और उन्हें उचित माध्यम में कोई और प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी यदि वे एक प्रति उचित माध्यम से भेजना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि हर तरह से पूर्ण आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच जाए । यदि आवेदन पत्र विलंब से प्राप्त होगा या नियमावली के उपबंधों के अनुसार हर प्रकार से पूर्ण नहीं होगा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना होगी ।

टिप्पणी : —अशक्त भूतपूर्व रक्षा व्यक्तियों / कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डी मो क्लाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र न हो ।

12. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञापन के अंतर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क देना होगा ।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है ।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो जबकि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है,

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) असंगत सामग्री लिखना जिसमें आलेख में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल है, या

(8) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(9) परीक्षा भवन में किसी भी तरीके से अनुचित आचरण किया है, अथवा

(10) आयोग द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को तंग करना अथवा शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले उनके प्रवेश प्रमाण पत्रों के साथ उम्मीदवारों को जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का उल्लंघन करने, अथवा

(12) परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पुस्तिका/टाइपराइटिंग आलेख परीक्षा भवन से बाहर ले जाने पर या उसे किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों को दिए जाने पर अथवा

(13) उपर्युक्त ग्रंथों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को किसी प्रतिबद्धता अथवा जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए —

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से या

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो।

15. परीक्षा के बाद उन उम्मीदवारों को जो टंकण परीक्षा में पास होंगे अथवा जिनको इसमें छूट मिल जाएगी लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर बने श्रेष्ठताक्रम में रखा जाएगा तथा उसी क्रम में जितने उम्मीदवार आयोग द्वारा परीक्षाओं में पास हुए पाए जाएंगे उनकी अनारक्षित रिक्तियों की निर्धारित संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

आगे यह भी शर्त है कि आयोग जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक, आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर, नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों जिनकी आयोग द्वारा इस उपनियम में उल्लिखित शिथिल मानदंडों का सहारा लिए बिना सिफारिश की जाती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक परीक्षा में उनके योग्यताक्रम के स्थान का ध्यान दिए बिना हो, उनको नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

16. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा टंकण परीक्षा में प्रवेश के समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

17. आयोग परीक्षा परिणाम को 'रोजगार समाचार' में छपवायेगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में अभ्यर्थियों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, जब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

करतार सिंह
अवर सचिव

परिशिष्ट— I

परीक्षा दो भागों में ली जाएगी अर्थात भाग—I लिखित परीक्षा और भाग—II टंकण परीक्षा।

भाग—I लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा के विषय परीक्षा के लिए निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे —

प्र० पत्र सं०	विषय	अधिकतम अंक	अनुमानित समय
1.	सामान्य बुद्धिमत्ता	50	
2	अंग्रेजी भाषा	50	
3.	संख्यात्मक अभिरूचि	50	दो घंटे
4.	लिपिकीय अभिरूचि	50	
	कुल	200	

टिप्पणी —सभी चारों विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहु—विकल्प प्रकार होंगे। उम्मीदवारों द्वारा सभी चारों विषयों में अलग अलग रूप में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोग अपने विवेकानुसार सभी चारों विषयों की परीक्षा के न्यूनतम अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है प्रश्न पत्र सं० 1, 3 और 4 के प्रश्न अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

भाग—II. टंकण परीक्षा . टंकण परीक्षा में लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर) का एक 10 मिनट की अवधि का पेपर होगा।

2. टंकण परीक्षा अर्थात परीक्षा की योजना के भाग—II में बैठने के लिए केवल वहीं उम्मीदवार पात्र होंगे जो उल्लिखित चारों विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ लिखित

परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निश्चित किया गया एक न्यूनतम मानक प्राप्त करेंगे।

3. परीक्षा के नियमों के नियम 15 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति में अथवा हिन्दी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति में टंकण परीक्षा पास करेंगे।

(यह विदेश मंत्रालय में नियुक्त टेलीफोन आपरेटरों के मामले में लागू नहीं होता)

टिप्पणी: (1) जो उम्मीदवार किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता है उसे अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वानुमोदन से इस परीक्षा के देने और पास करने की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को जब टंकण परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन से (निर्धारित प्रपत्र में) एक प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करे जिसमें उसको किसी शारीरिक अशक्तता के कारण उसे टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

टिप्पणी: (2) कोई ऐसा अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड से या शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबंद्ध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उसका शारीरिक रूप से विकलांग का दावा तुरन्त स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा अभ्यर्थी जो सिविल/आर्थोपेडिकली सर्जन से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उसका मामला स्वीकृति के लिए चिकित्सा बोर्ड के पास भेजा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी। स्टैण्डर्ड साईज के रोलर वाली मशीन टाईप के लिए काम दे सकेगी।

5. उम्मीदवारों को छूट होगी कि टंकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दें अथवा अंग्रेजी में।

6. हिन्दी (देवनागरी लिपि) में टंकण परीक्षा में बैठने का विकल्प देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में ऐसा करने की अपनी इच्छा निर्दिष्ट करनी चाहिए, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि वह अंग्रेजी में टंकण परीक्षा में बैठेगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और विकल्प में कोई परिवर्तन करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिस भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार ने अपना विकल्प दिया हो, उससे इतर भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने पर कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

7. लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दर्शाया जायेगा।

8. उम्मीदवार प्रश्न पत्र स्वयं अपने हाथ से लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने प्रश्न-पत्रों को लिखने के लिए किसी लेखक की सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी।

9. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक विषय अथवा सभी विषयों में अर्हक अंक निर्धारित करेगा।

अनुसूची

भाग—I : लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का पाठ्यक्रम

1. सामान्य बुद्धिमत्ता—इस परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न अनुदेशों को समझने, सम्बन्ध, समानताएं सुसंगति निर्धारित करने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार के बौद्धिक कार्यकलापों पर आधारित होंगे।

2. अंग्रेजी भाषा—इस परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्ञान, व्याकरण, वाक्य गठन, पर्यायवाची, विलोम आदि के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा।

3. संख्यात्मक अभिरुचि—प्रश्न इस तरह तैयार किए जाएंगे जिससे कि संपूर्ण संख्याओं, दशमलवों और भिन्नों तथा संख्याओं के बीच संबंध के बारे में अंकगणित संबंधी गणना की योग्यता को परीक्षा की जा सके। प्रश्न अंकगणित की जटिल गणनाओं पर नहीं बल्कि अंकगणित संबंधी अवधारणों तथा संख्याओं के बीच संबंधों पर आधारित होंगे।

4. लिपिकीय अभिरुचि— यह परीक्षा उम्मीदवार की प्रत्यक्ष—ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि की जांच करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह ऐसी योग्यता है जिससे नामों और संख्याओं के युग्मों की समानता तथा भिन्नता का पता चलता है। लिपिकीय अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों से प्रत्यक्ष— ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि के अलावा फाइलिंग, संक्षेपण सूचक तैयार करने आदि जैसे नेमो ढंग के कार्यालयी कामकाज निपटाने की योग्यता की भी जांच की जाएगी।

परिशिष्ट –II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/ पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनसे सम्बद्ध संक्षिप्त ब्यौरे

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा : केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड है –

1. उच्च श्रेणी ग्रेड 1200–30–1500–द०रो०–40–2040 रुपये ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड 950–20 –1150 द० रो० 25–1500 रुपये ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति इस अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन रहेंगे तथा उन्हें सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना और विभागीय परीक्षाएं पास करना होगा । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है ।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकता है ।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा । उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों ।

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के पात्र होंगे । स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस संबंध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद विभागीय श्रेणी "घ" के आशु-लिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 50 वर्ष होनी चाहिए ।

7. जिन लोगों को नियुक्ति केन्द्र सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी इच्छा के अनुसार की जाएगी वे उस नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर या पदों की अन्य श्रेणी के लिए स्थानांतरित या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेंगे ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा: रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 में जो समय–समय पर बने हैं, संचालित होती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा 1962 पर आधारित है तथा समय–समय पर संशोधित होती रहती है ।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा को निम्नलिखित दो श्रेणियां है :–

1. उच्च श्रेणी लिपिक 1200–30–1560–द० रो०–40 2040 रुपये

2. अवर श्रेणी लिपिक 950–20–1150 –द०रो० –25 1500 रुपये

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में ही की जाती है । अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है ।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे । ऐसे स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक, जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुके हों रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा यथा निर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुकने के बाद, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'घ' के लिए ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । इस परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष है ।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है और उनके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं ।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमो के अधीन भर्ती किए गए हैं।

(1) पेंशन के लाभो के हकदार होंगे, और

(2) जो रेल नौकरी में नियुक्त हुए हों उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू और अशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अशदान करेंगे।

8. रेल मत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर की मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9 जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सबध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल कर्मचारियों को, उसी प्रकार की सुविधाए हैं जैसा कि अन्य रेल कर्मचारियों को। किन्तु चिकित्सा सुविधाए उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) —ग्रेड—VI

वेतनमान 950—20 —1150—द० रो०—25—1500 रुपये

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड —6 मे नियुक्त किए गए अधिकारी, उक्त ग्रेड मे आठ वर्षों की सेवा पूरी करने पर 1200—30—1560 द० रो०—40—2040 रु० के वेतनमान में ग्रेड —5 में पदोन्नति के लिए पात्र है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड—5 अधिकारी उक्त ग्रेड मे पाच वर्षों की सेवा पूरी करने पर 1640—60—2600—द० रो० —75—2900 रुपये के वेतनमान मे अपनी पारी पर उक्त सेवा के ग्रेड — 4 मे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड—6 के अधिकारी 1200—30—1560 द० रो०—40—2040 रुपये के वेतनमान, मे उक्त ग्रेड मे अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर सेवा के उप सवर्ग मे आशुलिपिकों के ग्रेड —3 में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

4. ग्रेड —6 के ऐसे अधिकारी जो स्नातक हैं 1640—60 —2600— द० रो०—75—2900 रुपये के वेतनमान मे उक्त ग्रेड मे अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप सवर्ग मे सहायक के ग्रेड मे पदोन्नति के लिए पात्र हो सकते हैं।

5 भारतीय विदेश सेवा (ख) मे नियुक्त किए गए उम्मीदवार या तो मुख्यालय पर भारत के किसी भी स्थान मे अथवा विदेश में जहा नियत्रक प्राधिकारी द्वारा उन्हे तैनात किया जाता है किसी पद पर सेवा करनी होगी।

6 विदेश सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उन दरों पर विदेश भत्ता मजूर किया जाएगा जो सबधित मुल्कों के निर्वाह व्यय आदि के आधार पर समय—समय पर मजूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम 1961 के अनुसार जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों के लिए लागू है विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी —

(1) सरकार द्वारा निर्धारित मानदड के आधार पर निःशुल्क आवास।

(2) समय—समय पर यथा—सशोधित सहयोजित चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या सुविधाए।

(3) निजी अथवा पारिवारिक सकटकालीन परिस्थितियों के लिए अधिकारी की सेवा के दौरान ड्यूटी स्थान से भारत मे आने और वापस जाने सबधी अधिकतम दो बार वापसी हवाई यात्रा व्यय।

(4) कतिपय शर्तों पर भारत मे किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक सस्था मे अध्ययन कर रहे 6 से 22 वर्ष की आयु वाले दो बच्चों को छुट्टी के दौरान अपने माता—पिता के पास जाने के लिए न्यूनतम किराये वाली श्रेणी से वार्षिक वापसी हवाई किराया।

(5) कतिपय शर्तों पर अधिकारी के विदेश मे तैनाती स्थान पर अध्ययन कर रहे 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले अधिकतम दो बच्चों के शिक्षा सबधी व्यय को सरकार पूरा करती है।

(6) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विदेश मे तैनाती के लिए परिधान भत्ता।

(7) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारी और उसके परिवार के लिए स्वदेश छुट्टी यात्रा व्यय।

7 सेवा मे नियुक्ति स्थायीकरण और वरिष्ठता सबधी शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) भर्ती सवर्ग वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के सगत उपबधों और किन्हीं अन्य नियमो अथवा आदेशों जिन्हें सरकार बाद मे बनाए द्वारा भी शासित होंगी।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा मे निम्नलिखित ग्रेड हैं।

उच्च श्रेणी ग्रेड 1200-30-1560-द० रो०—40—2040 रुपये

अवर श्रेणी ग्रेड 950—20—1150 द० रो०—25—1500 रुपये

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड मे पद अवर श्रेणी लिपिकों मे से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड मे ही की जाती है।

2. अवर श्रेणी में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है इस अवधि में असंतोष जनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधी में उन्हें समय-समय पर यथाविहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक आम तौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों के किसी-कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु लोक हित में भारत मे कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(छ) संसदीय कार्य मंत्रालय : इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान 950-20-1150-द० रो० -25-1500 रुपये है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिकों के पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में सम्मिलित नही है।

संसदीय कार्य विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक को 75% रिक्तियां वरीयता सहउपयुक्तता के आधार पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं। शेष 25% रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मंत्रालय के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों द्वारा भरी जाएंगी जो उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

(च) राष्ट्रपति सचिवालय :

1. राष्ट्रपति सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान 950-20-1150-द० रो० 25-1500 रुपये है।

2. राष्ट्रपति सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिको के पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल नहीं हैं।

3. नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

4. राष्ट्रपति सचिवालय में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 8th February 1994

RESOLUTION

No. F. E-11011/2/92-Hindi-IV.—In the Resolution No. E-11011/2/92-Hindi IV dated 5th January, 1994 regarding the reconstituting of the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Revenue & Expenditure, the following amendments shall be made therein viz :—

(1) The Existing entry i.e. No. 27. Additional Secretary (Administration) Department of Revenue, North Block, New Delhi as a Member Secretary shall be substituted by Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi.

(2) Additional Secretary (Administration) Department of Revenue, North Block, New Delhi as a Member-Secretary, re-will now re-numbered as S. No. 28.

ORDER

It is ORDERED that a copy of this Resolution be Communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, all members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. K. KAW,
Addl. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 18th February 1994

RESOLUTION

No. 6/1/79-PP.—The erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No. 6/1/79-PP dated 10th March, 1983, setting up the National Water Resources Council and amendments of even number dated 14th October, 1985, 29th October, 1985, 21st January, 1987 and 12th June, 1987 stand further amended as below :

In Para 3 of the resolution, the composition of the National Water Resources Council will be as follows :

Chairman

"1. Prime Minister.

Vice-Chairman

2. Union Minister of Water Resources.

Members

3. Union Minister of Finance.
4. Union Minister of Agriculture
5. Union Minister of Power.
6. Union Minister of Urban Development.
7. Union Minister of Welfare.
8. Deputy Chairman, Planning Commission.
9. Union Minister of State for Rural Development.
10. Union Minister of State for Planning.
11. Union Minister of State for Surface Transport.
12. Union Minister of State for Science & Technology.
13. Union Minister of State for Environment & Forests.
14. Chief Minister, Andhra Pradesh.

15. Chief Minister, Arunachal Pradesh.
16. Chief Minister, Assam.
17. Chief Minister, Bihar.
18. Chief Minister, Delhi.
19. Chief Minister, Goa.
20. Chief Minister, Gujarat.
21. Chief Minister, Haryana.
22. Chief Minister, Himachal Pradesh.
23. Chief Minister, Jammu & Kashmir.
24. Chief Minister, Karnataka.
25. Chief Minister, Kerala.
26. Chief Minister, Madhya Pradesh.
27. Chief Minister, Maharashtra.
28. Chief Minister, Manipur.
29. Chief Minister, Meghalaya.
30. Chief Minister, Mizoram.
31. Chief Minister, Nagaland.
32. Chief Minister, Orissa.
33. Chief Minister, Pondicherry.
34. Chief Minister, Punjab.
35. Chief Minister, Rajasthan.
36. Chief Minister, Sikkim.
37. Chief Minister, Tamil Nadu.
38. Chief Minister, Tripura.
39. Chief Minister, Uttar Pradesh.
40. Chief Minister, West Bengal.
41. Lt Governor, Andaman & Nicobar Islands
42. Administrator, Chandigarh.
43. Administrator, Dadra & Nagar Haveli.
44. Administrator, Daman & Diu.
45. Administrator, Lakshadweep.

Secretary, Ministry of Water Resources will be the Secretary of the National Water Resources Council."

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and the Union Territories the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor-General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government, for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

M. S. REDDY,
Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-1, the 2nd April 1994

RULES FOR RECRUITMENT OF CLERKS, 1994

F. No. 9/2/94-CS.II.—The Rules for Clerks Grade Open Competitive Examination. 1994 to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training for the purpose of filling temporary vacancies in the following service/posts and for such other service/post as may be included by the Commission in their Advertisement inviting application for the Examination are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B) Grade VI.

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service-Grade-II.

(iii) Central Secretariat Clerical Service-Lowered Division Grade.

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service-Lower Division Grade.

(v) Posts of Lower Division Clerks in the President's Secretariat.

(vi) Posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.

Preference in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidates at the time of submitting their applicatons.

2. Reservation will be made for candidates who are ex-servicemen for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and for Physically Handicapped (the deaf and Orthopaedically handicapped persons only) persons in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. (A) An 'ex-serviceman' means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union; and

(a) Who retired from such services after earning his/her pension; or

(b) Who has been released for such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or

(c) who has been released otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment; or

(d) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories; namely.

(i) Pension holders for continuous embodied service;

(ii) Persons with disability attributable to military service; and

(iii) galantry award winners.

(B) Scheduled Castes/Scheduled Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951 the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli, Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Orders, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989, the Constitution (Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 1990 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment, Ordinance 1991, the Constitution-ST Order (Second Amendment) Act, 1991 as amended from time to time.

(C) The OBCs for the purpose of the reservation as per orders of the Government of India issued vide O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) of 8th September, 1993 by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Government's Lists.

The aforesaid lists of OBCs has been published in the Gazette of India dated 13-9-1993 vide Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-ECC(C) dated 10-9-1993. The candidates seeking reservation as OBC should belong to one of the castes mentioned in the above notification and should also be excluded from the creamylayer as mentioned in DP&T O.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-93.

(D) Physically handicapped person means a person belonging to any of the following categories :—

(a) *The Deaf* : The deaf are those in whose the sense of hearing is non-functional for ordinary purpose of life. They do not hear and understand sound at all even with amplified speach. The cases included in this category will be those having hearing loss mor than 90 decibles in the better ear (Profound impairment) or total loss of hearing in both ears.

(b) *The Orthopaedically Handicapped* . Orthopaedically handicapped who have a minimum of 40% of physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules. The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) A person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Ugenda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, and Vietnam with the intention or permanently settling in India.

(1) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d), and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) Provided further that candidate belonging to categories (b), (c) and (d) above shall not be eligible for apponitment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (A) A candidate for this examination must have attained the Age of 18 years and must not have attained the Age of 25 years on Ist August, 1994 i.e., he/she must have been born not earlier than 2nd August, 1969 and not later than Ist August 1976.

NOTE : CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

(B) Ex-servicemen fulfilling the condition laid down in para 3(A) above shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed presiribed age limit by more than three years.

Candidates admitted to the examination under this Age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

NOTE (1): "Ex servicemen who have already joined Government job in civil side after availing of the benefits given to Ex-servicemen for their re-employment are also eligible to the age concession. However, such candidates will not be eligible for the benefit of resservation and fee concession."

NOTE (2): The period of 'Call up Service' of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as Service rendered in the Armed Forces for purpose of Rules 5(B) above.

NOTE (3) : For any serviceman of the Armed Forces of the Union to be treated as Ex-serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the post/service the status of Ex-servicemen and/or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would be released/discharged from the Armed Forces within one year from the closing date (i.e. 2-5-94) on completion of his assignment. The form of certificate/under-taking to be submitted by the candidates in this connection shall be given in Annexure (as per para 2 of Department of personnel & Training OM No. 36034/2/91-Estt(SCT) dated

3-4-91 alongwith the Application Form in the detailed Advertisement/notice to be issued by the Commission.

(C) The Upper Age limit in all these cases will be further relaxable :-

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes.

(ii) Upto a maximum age of 3 years (8 years for SC/ST) to candidates who are bonafide repatriates of Indian Origin from Kuwait or Iraq and have migrated to India after 15th May, 1990 but before 22nd November, 1991;

(iii) Upto a maximum of three years (8 years for SC/ST candidates in the case of Defence Service Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(iv) Upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, (for candidates belonging to SC or ST, who are physically handicapped, the maximum relaxation of ten years permissible for physically handicapped persons shall be in addition to the age relaxation provided in terms of column (i);

(v) Upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced woman and women judicially separated from their husbands, who are not remarried.

(vi) Upper age limit is relaxable to retrenched employees of Chukha Hydel Project Authority in Bhutan who were directly recruited to the extent of service rendered by them with the Authority (Period of regular service rendered by the retrenched employees) will be decided on the basis of certificate issued by the Chukha Hydela Project Authority.

(D) The Upper age limit will be relaxable upto the age of 40 years (45) years in case of (SC/ST) in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks/Assistant Compilers/Storekeepers in the various Departments/Offices of the Government of India and in the office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Clerks as on 1-8-1994 and who continue to be so employed.

(E) The Ppper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of service clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces, i.e. those who are due for release from the Army during the period of 2nd August, 1994 to 1st August, 1995.

Such candidates are not entitled to any concession in fee.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations, which are not reserved for ex-servicemen.

(F) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are employed in the Ministry of External Affairs as on 1-8-1994 and who continue to be so employed.

(G) Upper age limit is also relaxable upto 35 years for the Staff Car Drivers who are educationally qualified for appointment to the posts of LDCs and who have rendered not less than 3 years of continuous service in the grade, in accordance with DP&AR's O.M. No. 22011/15/81-Estt.(D) dated 4-7-1983;

NOTE (1) : Services rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of Postal Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerks for purpose of Rules 5(D) above.

NOTE (2) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age cocession mentioned in Rules 5(D), Rule 5(F) and Rule 5(G) above, is liable to be cancelled if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his Department, either before of after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

NOTE (3) : A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination.

NOTE (4) : Any permanent or temporary Telephone operator working in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephone Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators of Ministry of External Affairs, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to a person who has been appointed to another ex-cadre posts or to another service on transfer, if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

NOTE (5) : The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (F) above of this rule are concerned, they will not be required to appear at the typewriting test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical typewriting test held by this Commission, if not already passed, within a period of one year, from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which, no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test.

Telephone Operator recommended by the Commission shall be inducted only in I.F.S. (B) Grade VI.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED, AGE CONCESSION IS NOT ADMISSIBLE TO THE 'SONS AND DAUGHTERS OF EX-SERVICEMEN' AND PERSONS BELONGING TO 'BACKWARD CLASSES'.

6. Candidates must have passed the Matriculation examition or equivalent or higher examination as on 1-8-94 from a recognized University or Education Board.

NOTE I : Candidates who have yet to appear at the Matricualtion or Equivalent Examination or whose result has been with-held or not declared on or before 1-8-1994 are *NOT* elig ble.

NOTE II : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Government justified, his admission to the examination.

7. No person :-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

8. All candidates in Government service whether in a permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or duty daily rated employees, or those serving under Public Interprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.

NOTE :—The Departmental candidates may send their applications directly to the Commission after intimating to their Head of Office/Department and need not send another copy through proper channel. However, in case they decided to send a copy through proper channel, they must ensure that the application *complete in all respects* should reach Staff Selection Commission by the closing date. Application shall be rejected if received late and/or are not complete in all respects as provided in Rules.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In case of the disabled ex-Defence Services Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to eligibility of otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidates will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee *vide* Commission Commission's advertisement must pay the fee prescribed therein.

13. Any attempt of the part of a candidate to obtain support for candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means,

(ii) or Impersonating, or

(iii) Procuring impersonaiton by any person, or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) Making Statement which are incorrect or false or supressing material information, or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) Writing irrelevant matters including obscene languages or pornographic matter in the script, or

(viii) Using unfair means in the examination hall, or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination, or hall, or

(x) Harrassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) Violation of any of the instructions issued to candidates alongwith their admission Certificate permitting them to take the examination, or

(xii) Taking away the Question Booklet/Answer Sheet/Type-writing script from the examination hall, or passing it on to unauthorised person/persons during the conduct of the examination, or

(xiii) Attempting to commit, or as the case be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing a clauses, or may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidates competing for the services/posts mentioned in para 1 who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidates at the written examination and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the basis of results of the examination.

Provided further that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, may to the extend of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service.

Provided further that the candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes & other Backward classes who have been recommended by the Commission without reserting to the relaxed standard referred to in this sub-rule, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes & other Backward Classes.

Provided that, candidates belonging to the Ex-servicemen or Physically Handicapped may, to the extent the number of vacancies reserved for them cannot be filled on the basis of General Standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. Due consideration will be given at the time of preparation of results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various services/posts in his application for the examination.

17. The result of the Examination will be published in the 'Employment News'/'Rozgar Samachar' by the Commission. It will not enter into correspondence with the candidates in this regard.

18. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

KARTAR SINGH,
Under Secy.

APPENDIX-I

The Examination will consist of two parts, viz Part I Written Examination and Part II Typewriting Test —

Part I Written Examination The subject of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each test will be as follows —

Paper No	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1	General Intelligence	50	2 Hrs.
2	English Language	50	200
3	Numerical Aptitude	50	Marks
4	Clerical Aptitude	50	

NOTE —The question in all the four tests will be "Objective-Multiple-Choice-Type" Candidates will be required to qualify in each of the four tests separately The Commission will have full discretion to fix the minimum qualifying marks in each of the four tests The questions in paper No 1, 3, & 4 will be set in English and Hindi

Part II Typewriting Test The typewriting Test will consist of one paper on Running Matter of 10 minutes duration

2 Only those candidates who qualify in all the four tests and attain at the written examination a minimum standard, as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the typewriting test, i e Part II of the Scheme of examination

3 Only such candidates who qualify at the Typewriting Test at a speed of not less than 30 words per minute in English or not less than 25 words per minute in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of Rule 15 of the Rules for the Examination (This does not apply in the case of Telephone Operators employed in the Ministry of External Affairs)

NOTE 1 —A candidate who claims to be permanently unfit pass the Typewriting Test because of a physical disability, may with the prior approval of the Chairman, Staff Selection Commission, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test, provided such a candidate when required to appear at the Typewriting Test, furnishes a certificate (in the prescribed form) to the Commission from the competent medical authority i e the Civil Surgeon, declaring him/her to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability

NOTE 2 —A candidate who would submit Medical certificate from the Medical Board attached to VCR for PH persons or from the Medical Board attached to Special Employment Exchange for PH persons, his/her claim would be accepted straightaway However, a candidate who would submit Medical Certificate from Civil/Orthopaedic Surgeon his/her case would be referred to Medical Board for clearence

4 Candidates will be required to bring their own Typewriter for the Typewriting Test A typewriter with the standard size roller will do for test

5 Candidates are allowed the option to take the typewriting test in Hindi (in Devanagri Script) or in English

6 A candidate desirous of exercising the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagari Script) should indicate their intention to do so in their application otherwise it would be presumed that he/she would take the Typewriting Test in English The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained. No credit will be given for Typewriting Test taken in a Language other than the one opted for by the candidates.

7 The syllabus for the written examination will be as shown in the Schedule to this Appendix

8 Candidates must write the Papers in their own hand In no circumtances, they will be allowed the help of a scribe to write down answers for them

9 The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE SUBJECTS INCLUDED IN PART I WRITTEN EXAMINATION

Syllabus

1 General Intelligence The questions in this test will be based on understanding instructions, determining relationships, similarities, relevance, drawing conclusions and similar intellectual functions

2 English Language Questions in this test will be set to assess the knowledge of English language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms etc There will also be a question on comprehension of a passage

3 Numerical Aptitude Questions will be designed to test the ability of arithmetrical computation of whole numbers, decimals and functions and relationship between numbers The questions would be based on arithmetical concepts and relationship between numbers and not on complicated arithmetical computation

4 Clerical Aptitude This is designed to test candidate's perceptual accuracy and aptitude This includes ability to notice similarities and differences between pairs of names and numbers Questions in clerical aptitude will also assess in addition to perceptual accuracy and aptitude bility to handle office routine work like filing abbreviating indexing etc

APPENDIX –II

Brief particulars relating to services posts to which recruitment is being made through this examination

A CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows

(i) Upper Division Grade—Rs 1200 30 1560-EB-40-2040/-

(ii) Lower Division Grade—Rs 950-20-1150-EB 25-1500/-

2 Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharged of the probationer from service

3 On the conclusion of the period of probation Government may confirm the clerk on probationer, if this work of conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit

4 Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme They may however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade 'D' Stenographers' Departmental Examination after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 50 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service(B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service, or to other category of posts.

B. RAILWAY BOARD SECRETARIAT CLERICAL SERVICE

The Service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railway, so far as recruitment training, promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 which are on lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040/-.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the Rules in force from time to time in this behalf, permanent or regularly appointed Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade of Railway Board Secretariat Clerical Service on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination for Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service held by the Ministry of Railways after rendering not less than 2 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government on this behalf. The upper age limit for this examination is 45 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service shall be confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under these rules :—

(i) Will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory other Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway servants appointed on the date they join service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the previlege of passes and previlege tickets orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

9. As regards leave and other conditions of Service, Staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with head quarters at New Delhi.

C. *INDIAN FOREIGN SERVICE (B) GRADE VI*

The scale of pay Rs. 950-20-1150-EB-25-1500/-.

Officers of Grade VI of the Indian Foreign Service (B) are eligible for promotion to Grade V in the pay scale of Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040/- on completion of eight years of service in the Grade.

2. Officers of Grade V of the Indian Foreign Service (C) will in turn be eligible for appointment to Grade IV of the service in the pay scale of Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/- on completion of five years of service in the Grade.

3. Officers of Grade VI of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for promotion to Grade III of Stenographers Sub-cadre of the service in the pay scale of Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040/- on completion of required number of years of service in the grade, on the basis of a Limited Departmental Examination.

4. Such Officers of Grade VI, who are graduates, may be eligible for appointment to the Grade of Assistant in the Sub-cadre of IFS(B) in the pay scale of Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/- on completion of required number of years of service in the Grade through a Limited Departmental Examination.

5. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

6. During service abroad IFS(B) officers, are granted foreign allowance in additional to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Facilities under Assisted Medical Attendance Scheme as amended from time to time.

(iii) Upto a maximum of 2 single return air passages to India and back throughout the officers entire service for reasons of personal or family emergency;

(iv) Annual return air passage cheapest class for two children between the age of 6 and 22 studying in recognised Educational Institutions in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officers is met by the Government subject to certain conditions;

(vi) Outfit allowances for posting abroad as per existing instructions.

(vii) Home Leave passages for officer and their families in accordance with the prescribed rules.

7. The conditions for appointment, confirmations and seniority in the service will be governed by the relevant provisions of the Indian Foreign Service (B) Recruitment Cadre, Seniority and Promotion Rules, 1964, and also by the other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. *ARMED FORCES' HEADQUARTERS CLERICAL SERVICE*

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade : Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040/-.

Lower Division Grade : Rs. 950-20-1150-EB-25-1500/-.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from amongst Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in the Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service, will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in India, New Delhi. They will also be liable to be posted any where within India in the public interest.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service will be same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service organisations.

E. *MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS*

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Ministry is Rs. 950-20-1150-EB-25-1500/-.

Candidates appointed to Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

Posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs are not included in C.S.C.S.

"75% of the vacancies in the grade of UDC in the Ministry of Parliamentary Affairs shall be filled by promotion of LDCs with at least 8 years regular service in the grade on the basis of seniority-cum-fitness and the remaining 25% shall be filled from amongst LDCs of the Ministry with 5 years regular service in the grade through Limited Departmental Examination conducted by SSC".

F. *PRESIDENTS' SECRETARIAT*

1. The scale of pay for the Lower Division Clerk in the President Secretariat is Rs. 950-20-1150-EB-25-1500/-.
2. The posts of Lower Division Clerks in the Presidents Secretariat are not included in the CSCS.
3. The persons appointed will be on probation for a period of two years.
4. They will be eligible for promotion to the Grade of Upper Division Clerks after putting in five years service in the case of President's Secretariat.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994